फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भीवा बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल0आर0ए0 मु0नं0– 75/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/26	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नंबर 267, 620/268, 622/79, 626/92, 266 वाके रामा मरियाडा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से भीवा पुत्र तोफला दर्ज एवं अंकित कर दिया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम श्रीया गुर्जर पुत्र तोफल्याराम दर्ज एवं अंकित होना चाहिए। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई है, रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में नामान्तकरण संख्या 74 विरासत से कॉलम नं0 11 में रामसिह, श्रीया पि0 तोफल्या जाति गुर्जर दर्ज है। जमाबंदी संवत 2023–26 में रामसिह, श्रीया पि0 तोफल्या जाति गुर्जर दर्ज है। जमाबदी संवत 2027–30 में खाता संख्या 64 में जमाबंदी तैयार करते खातेदार श्रीया पुत्र तोफल्या के स्थान पर भीवा पुत्र तोफल्या दर्ज हो गया है जो आदि दिनांक तक दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड में श्रीया पुत्र तोफल्या व राशन कार्ड में श्रीया पुत्र तोफल्याराम दर्ज है। उक्त से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में नाम श्रीया पुत्र तोफल्या ही दर्ज रहा है लेकिन राजस्व कर्मियों की गलती से भीवा पुत्र तोफल्या दर्ज हो गया जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में भीवा पुत्र तोफला के स्थान पर श्रीया पुत्र तोफल्याराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	